

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग
राजस्थान, बीकानेर

mail id-panjlyak8ppp@gmail.com

क्रमांक:-शिविरा/प्रां/पविप/प्राशिपूप/दिशा निर्देश/2021

दूरभाष-0151-2226570

दिनांक:- 31.01.2022

प्राचार्य,

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,


समस्त।

विषय:- प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा 8), 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु अधिकतम आयु सीमा में शिथिलन बाबत।

प्रसंग: इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक: 03.01.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा 8), 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु जारी दिशा-निर्देश क्रमांक: शिविरा/प्राशि/पविप/प्राशिपूप/दिशा-निर्देश /2021 दिनांक: 03.01.2022 के विन्दु संख्या: 27 में प्रावधान है कि 1 मार्च 2022 को आवेदक की अधिकतम आयु 16 वर्ष से अधिक नहीं हो। अधिकतम आयु की उक्त बाध्यता में निर्देशानुसार वर्ष 2022 की परीक्षा के लिए शिथिलन प्रदान किया जाता है।

यह शिथिलन समस्त प्रकार की राजकीय एवं मान्यता प्राप्त गैर राजकीय संस्थाओं के विद्यार्थियों के लिए लागू होगा। आगामी सत्र के लिए इस कार्यालय के पूर्व पत्र क्रमांक: शिविरा/प्राशि/पविप/प्राशिपूप/दिशा-निर्देश /2018/172 दिनांक: 14.12.2018 की पूर्णतया पालना सुनिश्चित की जावे।


(कानाराम)
I.A.S

निदेशक


प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं
पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक:- 31.01.2022

क्रमांक:-शिविरा/प्रां/पविप/प्राशिपूप/दिशा निर्देश/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. शासन उपसचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को इस आशय के साथ कि वे जारी आदेश का सक्षम स्तर से अनुमोदन करावें।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
5. निजी सचिव, निदेशक, आरएससीईआरटी, उदयपुर।
6. प्रभारी, आई.सी.टी. सेल, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
7. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., जयपुर।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (मु.), मा.शि./प्रा.शि. समस्त।
9. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त।
10. रक्षित पत्रावली


निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं
पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग
राजस्थान, बीकानेर